पत्रांक-6/सी7-40/2002 1389 /

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

श्री आदित्य प्रसाद,
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, रांची

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली ।

रांची, दिनांक 21 जून, 2003

विषय झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों की सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त सी०बी०एस०ई० से सम्बद्धता हेतु होती रही रुकावटें, फलस्वरूप शहरी एवं देहाती क्षेत्र के लिए निम्नांकित शर्तों एवं बन्धनों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:-

1- विद्यालय की वार्षिक बचत आय का 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है । कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार में कार्यरत समकक्ष कर्मियों के वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा ।

2- विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा ।

3- विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं देहाती क्षेत्र में 4 एकड़ निर्धारित भूमि संबंधी सरकार की शर्तों को संशोधित मानते हुए दोनों क्षेत्र के लिए समान रूप से कम से कम दो एकड़ भूमि विद्यालय के नाम से निबंधित या 30 वर्षों से निबंधित पट्टा/ लीज पर होना चाहिए ।

4- विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य होगी ।

5- नामांकन हेतु किसी प्रकार डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया जायेगा ।

6- गरीबी रेखा के नीचे परिवार के छात्रों का निःशुल्क 10प्रतिशत नामांकन के लिए स्थान सुरक्षित होगा ।

7- विद्यालय का कार्यकलाप राष्ट्रहित में होना चाहिए ।

विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों, ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा वैज्ञानिक ज्ञान वर्द्धन, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु सकारात्मक प्रयास करना होगा।

8- विद्यालय में छात्र/छात्राओं की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।

9.- विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10.- विद्यालय संचालन हेतु गठित नियमावली के आधार पर गठित शासी निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर नये सदस्यों की सूची जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के कार्यालय में जमा करना होगा।

11.- राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्स-टेन्शन प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस०, स्काउट एवं गाईड को सुचारू रूप से करना होगा।

12- यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय परिपत्र संख्या-1055 दिनांक 5-9-01 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार के अधीन सुरक्षित होगा।

13.- उपर्युक्त शर्तों या बन्धेजों के अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करने का अधिकार होगा।

14.- अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित/कागजातों/अभिलेखों को जाली अथवा वास्तविक स्थिति से भिन्न न पाया जाय या विद्यालय द्वारा राष्ट्र या राज्य हित के विरूद्ध किया जा रहा हो या ऐसा कार्य किसी सामाजिक कटुता फैलाता हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले सकती है।

15.- विद्यालय द्वारा उपर्युक्त शर्तों एवं बन्धेजों का अनुपालन किया जा रहा है अथवा नहीं इसकी जाँच समय-समय पर मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं एकाडमिक अनियमितताओं की जाँच करा सकेगी और जाँचोपरान्त अनुवर्ती कारवाई कर सकेगी।

16.- एतद्विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निबटारा माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड राँची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा।

17.- समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बंधन

संबंधी जो निर्णय लिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों के उल्लंघन मानते हुए अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कारवाई भी की जा सकेगी।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(अनखदेव प्रसाद)
निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड
राँची

ज्ञापांक———— राँची, दिनांक————/

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग/प्राचार्य, होली मदर्स एकादमी, कतरासगढ़ धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अनखदेव प्रसाद)
निदेशक,
(माध्यमिक शिक्षा) झारखंड,
राँची।